अति तत्काल
आर टी आई मामला

सं. 14036/320/2013-यू टी पी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 7 मई, 2013

सेवा में

श्री आदेश कुमार,
पूर्वी जिला पुलिस कार्यालय,
मंडावली,
फाजल पुर,
दिल्ली-110092

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपका दिनांक 12.3.2013 का आवेदन।

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपके उपर्युक्त आर टी आई आवेदन (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अंतरित होकर इस अनुभाग में दिनांक 16.04.2013 को प्राप्त) का उल्लेख करने का निदेश हुआ है।

2. जहां तक मुद्दा सं. 4 का संबंध है, आपके आर टी आई आवेदन के संबंध में आपसे साझा करने के लिए इस लोक प्राधिकारी के पास कोई सूचना नहीं है।

3. इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम और पदनाम श्री के.के. पाठक, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

भवदीया,

Issued
1236
7/5.

(एस. सुधा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं
अवर सचिव (डी पी-II)
दूरभाष : 23092856

1/3/13 द्वारा- लोक जनमत

सेवा में,

सहायक जन सूचना अधिकारी
पूर्वी जिला पुलिस कार्यालय
मंडावली फाजलपुर दि- 92

PIO/East Distt. Delhi
S.L. No.....5088..
Date....12/3/13

विषय !- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र।

सम्पूर्ण दिल्ली पुलिस में कार्यरत (MTS) मल्टी टास्क स्टाफ जो कि केन्द्रीय सेवा नियमावली-1965 के अन्तर्गत भर्ती किये गये थे तथा वर्तमान में भी उपरोक्त नियम के अन्तर्गत भर्ती किये जाते है और उन MTS स्टाफ की पदोन्नति तथा SC/ST व OBC जाति के सदस्य होने के कारण उन्हे सम्पूर्ण दिल्ली पुलिस में किस प्रकार से पदोन्नति व अन्य किसी भी प्रकार के लाभ के लिए कोई योजना, आदेश तथा वर्तमान में कोई बोर्ड का गठन किया गया है या नही उसकी सम्पूर्ण जानकारी दी जाये।

2 → MTS स्टाफ जो कि दिल्ली सरकार में भी कार्यरत है उन्हे भर्ती होने के बाद अभी तक उनकी शिक्षा में विभाग द्वारा अनुमति लेने के बाद उच्च शिक्षा के आधार पर वर्ष-2000 से वर्ष-2013 तक कितने MTS स्टाफ की पदोन्नति की गई व किस-किस पद पर और किस जाति के कुल कितने सदस्य पदोन्नत किये गये उनकी सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी जाये।

3 → दिल्ली पुलिस में कार्यरत MTS स्टाफ को वर्तमान में CCS 1965 के अनुकुल उनके दिल्ली सरकार के कार्यरत MTS स्टाफ की तरह ही लाभ दिये जायेंगे व दिये जा रहे है या नही तथा अपने विभाग द्वारा उच्च शिक्षा की अनुमति लेने के बाद विभाग उन्हे कोई अन्य लाभ देता है या नही और यदि दिल्ली पुलिस में उन्हे केन्द्रीय सरकार के ही कर्मचारी माना जाता है या नही और उसकी सम्पूर्ण जानकारी दी जाये।

4 → दिल्ली पुलिस में कार्यरत MTS स्टाफ के लिए गृह मंत्रालय व प्रशिक्षण निदेशालय, भारत सरकार द्वारा किस-किस प्रकार की योजनाएं बनाई है उन सम्पूर्ण जानकारी दी जाये।

नोट !- उपरोक्त जानकारी केवल हिन्दी भाषा में ही दी जाये।

(हस्ताक्षर) 12/3/13
आवेदनकर्ता
आदेश कुमार M.A, LL.B
पूर्वी जिला पुलिस कार्यालय
मंडावली फाजलपुर दि- 92